कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी भीकनगांव (सामान्य)

भीकनगांव, जिला खरगोन (म.प्र.) E-mail sdoFTbhikangaon@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2019 / 352 भीकनगांव, दिनांक / 20/02/19

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी
वनमण्डल खरगोन सामान्य

विषय :– 33 के. व्ही. विद्युत लाईन चिरीया से तितरान्या का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव कमांक / FP / MP / VELEC / 37708 / 2018 की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. / मा.चि. / 2018 / 1389 खरगोन, दिनांक 12.02.2019

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से 33 के. व्ही. विद्युत लाईन चिरीया से तितरान्या का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव कमांक / FP / MP / VELEC / 37708 / 2018 की स्वीकृति के संबंध में प्रकरण जांच हेतु प्राप्त हुआ था। इस हेतु वन परिक्षेत्र अधिकारी चिरीया, वन परिक्षेत्र अधिकारी तितरान्या एवं संबंधित विभाग के सहायक यंत्री म. प्र. प. क्षे. वि. वि. कं. लि. भीकनगांव द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 23.01.2019 एवं 29.01.2019 को किया गया।

संयुक्त स्थल निरीक्षण के दौरान पाया कि उक्त लाईन परिक्षेत्र चिरीया के 5926 मीटर वनक्षेत्र से होकर गुजरेगी एवं वन परिक्षेत्र तितरान्या के 7865 मीटर वनक्षेत्र से होकर गुजरेगी। जिसमें 15 मीटर की चौडाई में आने वाले वृक्षों की गणना कर कक्षवार रिडिंग ली जाकर प्रभावित रकबे का गणना पत्रक तैयार किया गया हैं। विषयांकित योजना में कुल 20.686 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होगी। साथ ही त्रुटियों की पूर्ति उपरान्त प्रतिवेदन बिन्दु अनुसार निम्न प्रकार हैं–

1. प्रस्तावित एकरेखण के फोटोग्राफ्स संलग्न हैं।
2. प्रस्तावित एकरेखण का परिक्षेत्रवार नक्शा संलग्न किया गया हैं।
3. न्यूनतम क्षेत्र उपयोग प्रमाण–पत्र संलग्न हैं।
4. प्रभावित रकबे का मूल्यांकन एवं गणना पत्रक संलग्न हैं।

अतः वन परिक्षेत्र अधिकारी चिरीया एवं तितरान्या से प्राप्त जांच प्रतिवेदन मय दस्तावेज एवं प्रस्तावित योजना का एकरेखण पैमाना 1:15000 के मानचित्र पर अंकित करते हुए प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

उप वन मण्डल अधिकारी
भीकनगांव

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी
आ. क्र. 1533
दिनांक 22/2/19

स्थान :- चिरीया
दिनांक :- 23-01-2019

मौका पंचनामा

हम पंचगण यह तस्दीक करते है, कि आज दिनांक 23/01/2019 को श्रीमान वन परिक्षेत्राधिकारी अधिकारी चिरीया, वनकर्मचारियो तथा बिजलीकर्मियो के साथ प्रस्तावित 33 K.V. विद्युत लाईन चिरीया से तिलान्या का संयुक्त स्थल निरीक्षण के लिए आये निरीक्षण के दौरान प्रत्येक कक्षवार G.P.S रिडिंग तथा 15 मी. की चौडाई मे आने वाले वृक्षो की प्रजातिवार गणनापत्रक तैयार किया गया ! साथ ही प्रत्येक कक्ष में प्रभावित होने वाली दूरी तथा प्रभावित होने वाले रकबे का गणना पत्रक मौका निरीक्षण करने के उपरान्त तैयार किया गया !

निरीक्षण उपरान्त पंचनामे तथा गणना पत्रक पर पंचो के समक्ष लिखकर, पढा, पढकर सुनाया सही पाया बाद अगूठा हस्ताक्षर किए गए !

मौका पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया
[signature] धर्मेन्द्र गुर्जर वनरक्षक चिरीया (8)

[signature] श्रीमती ललिता नायिका जि.प.

पंचनामा मेरे सामने लिखा गया
[signature] Ro. Chiriya

[signature] (सिराज मंसुरी लाईनमेन S.T.C (खरगोन)

गोपालसिंह (लाईनमेन)

[signature]
23/01/19
S.D.O. Bhikangaon

[signature]
AE. M.P.P.K.V.V.C.L.
Bhikangaon Subdivision

वन विभाग खंडवा दि. 29.1.2019

स्थान - तितराल्या

पंचनामा

x

हम पंचान नीचे सही कर देने वाले सत्य २ पंचनामा लिखवा देते है, ऐसा कि आज दि. 29.1.2019 को प.क्ष. तितराल्या ; बीट गार्ड माण्डवा एवं बिजली विभाग के लाइनमेन द्वारा भिकारी ग्रिड से तितराल्या ग्रिड तक प्रस्तावित 33 KV विद्युत लाइन का सर्वे निरीक्षण किया गया। जिसमे तितराल्या कक्ष क्र. 891 प्रथम बिंदु GPS N 21°29'60" E 75°56'34" ; ग्राम खुडी कक्ष क्र. 905 प्रथम बिंदु N 21°30'54" E 75°56'26" एवं अंतिम बिंदु N 21°32'12" E 75°55'6" तथा चाकबेड़ी कक्ष क्र. 889 प्रथम बिंदु N 21°32'17" E 75°55'5" अंतिम बिंदु N 21°32'44" E 75°54'53" है। लाइन में आने वाले विभिन्न प्रजाति के 13 पेड़ो की सूची संलग्न है।

सदर पंचनामा हम पंचो ने लिखवा दिया, पढ़वाकर सुना, समझा बाद हस्ताक्षर किये जो सही है।

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया।

[illegible] 29.1.2019
प.क्ष. तितराल्या

[signature]
29/1/19
S.D.O. Bhikangoan

हस्ताक्षर पंचान

धूम सींग
(धूमासींग S/ रघुनाथ
बिलखेड़)

गोपालसिंह
(लाइनमेन)

[signature]
व.प.
तितराल्या

Shyam
श्याम सिंह धुर्वे
बी.गा. माण्डवा

[signature]
A.E. M.P.P.K.V.V.C.L.
Bhikangaon Subdivision

निहाल
(निहाल S/o गुलाब,
तितराल्या)

न्यूनतम उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 33 के.व्ही. विधुत लाईन चिरीया से तितरान्या का स्थल निरीक्षण किया जाकर चयनित लाईन से न्यूनतम वनक्षेत्र का उपयोग होगा तथा उक्त प्रस्तावित एकल लाईन का वनक्षेत्र मे न्यूनतम अन्य वैकल्पिक क्षेत्र नहीं है।

उप-वन मण्डलाधिकारी
उप-वन मण्डल भीकनगाँव

(अरविन्द चौहान)
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिरीया

विधुत लाईन चिरीया से तितरान्या कक्षवार रिडिंग

कक्ष क्र.	कक्ष का प्रारंभिक बिंदु की जी.पी.एस. रिडिंग	कक्ष के अंतिम बिंदु की जी.पी.एस. रिडिंग	कक्ष में प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक की दूरी मीटर में
895	N 21° 35 ' 43.17" E 75° 54 ' 32.56"	N 21° 34 ' 33.41" E 75° 54 '38.12 "	300
742	N 21° 34 ' 33.41" E 75° 54 '38.12 "	N 21° 34 ' 57.16" E 75° 54 '32.28 "	1050
898	N 21° 34 ' 57.16" E 75° 54 '32.28 "	N 21° 34 ' 42.07" E 75° 54 '37.00 "	320
901	N 21° 34 ' 42.07" E 75° 54 '37.00 "	N 21° 34 ' 32.10" E 75° 54 '29.20"	750
893	N 21° 34 ' 32.10" E 75° 54 '29.20"	N 21° 34 ' 12.00" E 75° 54 '22.00 "	925
892	N 21° 34 ' 12.00" E 75° 54 '22.00 "	N 21° 33 ' 39.00" E 75° 54 '19.00 "	925
891	N 21° 33 ' 39.00" E 75° 54 '19.00 "	N 21° 33 ' 08" E 75° 54 '25.00 "	900
891 892	N 21° 33 ' 08" E 75° 54 '25.00 "	N 21° 32 ' 45.00" E 75° 54 '39.00 "	756
योग			5926

ASSISTANT ENGINEER
M.P.P.K.V.V.C.L.
BHIKANGAON SUB DIVISION

उप-वन मण्डलाधिकारी
उप-वन मण्डल भीकनगाँव

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिरीया

विद्युत लाईन परिक्षेत्र चिरीया से तितरान्या की कक्षवार रीडिग

कक्ष क्रमांक	कक्ष के प्रारम्भिक बिन्दु की जी. पी. एस. रीडिग	कक्ष के अंतिम बिन्दु की जी. पी. एस. रीडिग	कक्ष के प्रारम्भ से अंतिम बिन्दु तक की दूरी मीटर में
889	N21°32' 17" E 75°55'05"	N21°32'44"E 75°54'53"	675
905	N21°30' 54" E 75°56'26"	N21°32' 12" E 75°55'06"	5510
881	N21°29' 60" E 75°56' 34"	N 21°29'4 92" E 75°56'33 89"E	1680
		योग	7865 मीटर

उप वनमण्डल अधिकारी
भीकनगांव

वन परिक्षेत्र अधिकारी
तितरान्या

खड़े वृक्षों का गोषवारा - मूल्यांकन पत्रक परिक्षेत्र-चिरीया

अ.क्र.	कक्ष क्रमांक	प्रजाति	वृक्ष गोलाई (से.मी. में)	गोलाई वर्ग	घ.मी. ईमारती	घ.मी. जलाऊ	घ.मी. योग	दर	कीमत
1	895	नीम	75	61-90	0.175	0.175	0.350	1514	1514
2	-"-	बबुल	36	31-40	0.038	0.050	0.088	186	186
3	-"-	बबुल	32	31-40	0.038	0.050	0.088	186	186
4	-"-	बबुल	38	31-40	0.038	0.050	0.088	186	186
5	742	पलाश	28	21-30	0.018	0.025	0.043	120	120
6	-"-	पलाश	35	31-40	0.038	0.050	0.088	186	186
7	-"-	पलाश	37	31-40	0.038	0.050	0.088	186	186
8	-"-	पलाश	38	31-40	0.038	0.050	0.088	186	186
9	-"-	नीम	26	21-30	0.018	0.025	0.043	120	120
10	-"-	नीम	47	41-50	0.067	0.065	0.132	384	384
11	898	सागौन	26	21-30	0.018	0.025	0.043	191	191
12	-"-	पलाश	75	61-90	0.175	0.175	0.350	1514	1514
13	-"-	पलाश	50	41-50	0.067	0.065	0.132	384	384
14	-"-	खैर	22	21-30	0.018	0.025	0.043	120	120
15	-"-	खैर	24	21-30	0.018	0.025	0.043	120	120
16	901	नीम	56	51-60	0.081	0.075	0.156	496	496
17	-"-	चिरोल	45	41-50	0.067	0.065	0.132	384	384
18	893	सलाई	51	51-60	0.081	0.075	0.156	496	496
19	-"-	पथराली	45	41-50	0.067	0.065	0.132	384	384
20	-"-	पलाश	32	31-40	0.038	0.050	0.088	186	186
		योग			1.136	1.235	2.371	-	7529/-

गोषवारा

अ.क्र.	प्रजाति	गोलाई वर्ग	नगसंख्या	घ.मी.	दर	कीमत
01	सागौन	21-30	01	0.043	191	191
02	आइकार	21-30	04	0.172	120	480
03	-"-	31-40	07	0.616	186	1302
04	-"-	41-50	04	0.528	384	1536
05	-"-	51-60	02	0.312	496	992
06	-"-	61-90	02	0.700	1514	3028
	योग		20	2.371	-	7529

(1) सागौन/आइकार प्रजाति के 20नग वृक्षो की दोहन राशि (1.136 घ.मी. @ 341रु.घ.मी)	= 387/-
(2) वृक्षो की कटाई से प्राप्त जलाऊ का चट्टा जमाने की राशि (207.40 × 3 चट्टे)	= 622/-
(3) दोहन से प्राप्त लकडी का डिपो परिवहन (75 कि.मी. तक @ 816/-)	= 816/-
योग	= 1825/-
गोश्वारे का योग	= 7529/-
महायोग	= 9354/-

उप-वन मण्डलाधिकारी
उप-वन मण्डल भीकनगाँव

वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरिया

वृक्षों का गोषवारा – मूल्यांकन पत्रक परिक्षेत्र - [illegible]

वृक्ष क्रमांक		प्रजाति	वृक्ष गोलाई से.मी.में	गोलाई वर्ग	घन मीटर			दर नग	कीमत
					ईमारती	जलाऊ	योग		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	881	सागवान	25 cm	21-30	0.018	0.025	0.043	191/-	191.00
02	~	~	25 CM	21-30	0.018	0.025	0.043	~	191.00
03	~	~	25 CM	21-30	0.018	0.025	0.043	~	191.00
04	~	~	25 CM	21-30	0.018	0.025	0.043	~	191.00
05	~	~	25 CM	21-30	0.018	0.025	0.043	~	191.00
06	~	~	25 CM	21-30	0.018	0.025	0.043	~	191.00
07	~	गोपदी	55 CM	51-60	0.081	0.075	0.156	496/-	496.00
08	~	नोर	35 CM	31-40	0.038	0.050	0.088	186/-	186.00
09	~	सुबबूल	25 CM	21-30	0.018	0.025	0.043	120/-	120.00
10	~	~	25 CM	21-30	0.018	0.025	0.043	120/-	120.00
11	~	~	25 CM	21-30	0.018	0.025	0.043	120/-	120.00
12	905	पलाश	70 CM	61-90	0.175	0.175	0.350	1514/-	1514.00
13	~	सुबबूल	35 CM	31-40	0.038	0.050	0.088	186/-	186.00
			योग	– 13 नग	0.494	0.575	1.069	–	3888=00

गोषवारा

क्र.	~~कक्ष क्रमांक~~	प्रजाति	गोलाई वर्ग	संख्या	घ.मी.	दर	कीमत
01	~~881~~	सागवान	21-30	06	0.258	191/-	1146.00
02	~	आटवार	21-30	03	0.129	120/-	360.00
03	–	~	31-40	02	0.176	186/-	372.00
04	–	~	51-60	01	0.156	496/-	496.00
05	–	~	61-90	01	0.350	1514/-	1514.00
			योग	13 नग	1.069	–	3888/=

उक्त वृक्षों की कटाई/ छटाई/ एकत्रीकरण / ढुलाई / परिवहन - 1400/=

कुल योग – 5288/=

या – 5300/=

उप-वन मण्डलाधिकारी
उप-वन मण्डल [illegible]

वन परिक्षेत्र अधिकारी
[illegible] (खुरसान)

परिक्षेत्र सहायक

कक्ष क्रमांक 881 एवं 905 मे खड़े वृक्षो की कटाई/छटाई/चट्टा लगाना का मूल्यांकन पत्रक

---

1. सागवान/आंवला प्रजाति के 13 नग वृक्षो की दोहन की राशि (0.494 घ.मी. @ 341/- प्र.घ.मी.) — 169.00
2. वृक्षो की कटाई से प्राप्त जलाऊ का चट्टा जमाने की राशि (207.40 x 2 चट्टे) — 415.00
3. दोहन से प्राप्त लकड़ी को डिपो परिवहन की राशि (75 किमी 816/-) — 816.00

योग – 1400.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
तितरान्या (खरगोन)

परिक्षेत्र सहायक
तितरान्या

क्रमांक 881 एवं 905 में जो वृक्षों की कटाई/छटाई (चयनकांता) परिवहन का मूल्यांकन पत्रक

(1) सागवान/अन्य प्रजाति के 13 नग वृक्षों की दोहन की राशि (0.494 घ.मी. @ 341/- प्र.घ.मी.)	169.00
(2) वृक्षों की कटाई से प्राप्त जलाऊ का चट्टा जमाने की राशि (207.40 x 2 चट्टे)	415.00
(3) दोहन से प्राप्त लकड़ी को डिपो परिवहन की राशि (75 किमी 816/-)	816.00
योग —	1400.00

ASSISTANT ENGINEER
M.P.P.K.V.V.C.L.
BHIKANGAON SUB DIVISION

उप-वन मण्डलाधिकारी
उप-वन मण्डल भीकनगांव

न्यूनतम उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 33 के.व्ही. विघुत लाईन चिरीया से तितरान्या का स्थल निरीक्षण किया जाकर चयनित लाईन से न्यूनतम वनक्षेत्र का उपयोग होगा तथा उक्त प्रस्तावित एकल लाईन का वनक्षेत्र में न्यूनतम अन्य वैकल्पिक क्षेत्र नही है।

(श्रीमति मनीषा बुन्देला)
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र तितरान्या

H:\11-02-2019\DM\Letter - 2018.doc